

फॉर्म नं. 3838

पत्नी या निकट संबंधी को पॉलिसी का सशर्त  
समनुदेशन



{आजीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत }

**नोट:** इस फॉर्म को भरना नहीं है। यदि इसकी भाषा उपयुक्त लगे, तो इसे या तो पॉलिसी के पीछे लिख लिया जाए या वैकल्पिक रूप से उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर लिखा जाए।  
(समनुदेशन के निष्पादन से संबंधित निर्देशों के लिए पीछे देखें)

---

मैं, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के आधार पर, अपने जीवन पर भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संख्या \_\_\_\_\_ के अंतर्गत देय सभी धनराशि का लाभ, रुपये \_\_\_\_\_ की बीमित राशि के साथ, अपने \_\_\_\_\_ (संबंध और नाम) आयु \_\_\_\_\_ वर्ष को हस्तांतरित करता/करती हूँ।

और यह घोषित करता/करती हूँ कि उक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्ति रसीद निगम के लिए पूर्ण रूप से मान्य होगी। परंतु यह शर्त रहेगी कि यदि उक्त व्यक्ति मेरी मृत्यु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या यदि मैं पॉलिसी की परिपक्वता तिथि तक जीवित रहूँ, तो पॉलिसी का लाभ और उससे संबंधित धनराशि प्राप्त करने का अधिकार मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा, मानो यह समनुदेशन किया ही न गया हो।

दिनांक \_\_, स्थान \_\_\_\_\_ इस \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_

---

**गवाह (WITNESS):**

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

पूरा नाम: \_\_\_\_\_

पद: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

(बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर)

---

सेवा में,

वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक  
भारतीय जीवन बीमा निगम

\_\_\_\_\_ शाखा

महोदय,

पॉलिसी संख्या: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

मैं आपको सूचित करता/करती हूँ\* कि मैंने उपरोक्त पॉलिसी को निम्न व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया है:  
(यहाँ समनुदेशी का नाम और पता लिखें)

दिनांक: \_\_\_\_\_

कृपया इस सूचना की प्राप्ति की पुष्टि करें और संलग्न पॉलिसी / समनुदेशन डीड को अपने अभिलेखों में पंजीकृत करने के पश्चात \_\_\_\_\_ को अग्रेषित करें।

भवदीय,

(समनुदेशक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान)

प्रमाणन:

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंगूठा निशान \_\_\_\_\_ का है, जिन्होंने इसकी सामग्री समझने के बाद इसे लगाया है।

गवाह के हस्ताक्षर

नोट:

सूचना समनुदेशक ( Assignor) या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा दी जानी चाहिए।

फॉर्म पर समनुदेशक के अंगूठे का निशान, मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी, अधिकारी या विकास अधिकारी (Development Officer) जिसके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो, या विकास अधिकारी (जो ऐसे अभिकर्ता में से भर्ती हुआ हो जो शामिल होने से पहले मंडल प्रबंधक या शाखा प्रबंधक क्लब के सदस्य थे), या ऐसे अभिकर्ता में से भर्ती हुआ विकास अधिकारी जो शामिल होने से पहले क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब या अध्यक्ष क्लब के सदस्य थे—बशर्ते कि वह पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होने पर, द्वारा प्रमाणित करना होगा। प्रमाणित करता गवाह को ऊपर बताए अनुसार प्रमाणित करना होगा

---

## निर्देश (INSTRUCTIONS)

(1) आवश्यक संशोधन करने के बाद, पीछे दिया गया फॉर्म या तो पॉलिसी के पीछे लिखा जाए (जिसमें स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा) या उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर लिखा जाए। समनुदेशन के पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

(2) समनुदेशी ( Assignee) का पूरा नाम और आयु अवश्य लिखी जानी चाहिए।

(3) समनुदेशक (जो अधिकार हस्तांतरित कर रहा है) को समनुदेशन पर अपने हस्ताक्षर समनुदेशी के अतिरिक्त किसी अन्य गवाह की उपस्थिति में करने होंगे। यदि समनुदेशक अंग्रेज़ी से परिचित नहीं है, तो उसे किसी अंग्रेज़ी जानने वाले व्यक्ति के सामने हस्ताक्षर करने होंगे, और यदि वह अशिक्षित है, तो उसे किसी मजिस्ट्रेट, शांति न्यायाधीश (Justice of the Peace), राजपत्रित अधिकारी, कम से कम 3 वर्ष के अनुभव वाले अधिकारी या विकास अधिकारी, या ऐसे विकास अधिकारी (जो एजेंट से भर्ती हुए हों और पहले मंडल या प्रबंधक शाखा प्रबंधक क्लब के सदस्य रहे हों या क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब या अध्यक्ष क्लब के सदस्य रहे हों) के सामने अपना अंगूठा निशान लगाना होगा, बशर्ते कि वह अधिकारी व्यक्ति की पहचान से पूर्णतः संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में गवाह को निम्न प्रमाणित करना चाहिए:

(4) स्थानीय भाषा में लिखी गई किसी भी सामग्री के नीचे उसका अंग्रेज़ी अनुवाद होना चाहिए।

(5) समनुदेशन के बाद पॉलिसी या समनुदेशन डीड को तुरंत निगम के सर्विसिंग कार्यालय में पंजीकरण हेतु भेजना आवश्यक है, साथ में लिखित सूचना भी दी जानी चाहिए। समनुदेशन तब तक निगम के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा जब तक लिखित सूचना और संबंधित दस्तावेज जमा न किए जाएँ। दावों की प्राथमिकता नोटिस प्राप्त होने के क्रम के अनुसार तय होगी, न कि निष्पादन की तारीख के अनुसार।

(6) यदि समनुदेशी अवयस्क है, तो उसकी संपत्ति के लिए वसीयतनामा संरक्षक नियुक्त करना उचित है। यह नियुक्ति केवल कानून के अनुसार ही की जा सकती है। विवाहित अवयस्क लड़की के लिए संरक्षक की नियुक्ति केवल न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसका फॉर्म निगम से आवेदन करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

( टिप्पणी : यदि कोई शर्तों और निबंधनों और विशेष प्रवधानों / शर्तों के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेज़ी पाठ विधिमान्य होगा )

---